



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं0 0135-2643023 फैंक्स नं0 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक 599/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस-7

दिनांक: 05.04.2023

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन आदेश सं0 508/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 दिनांक 06.04.2022, आदेश सं0 1216/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 दिनांक 16.07.2013 एवं आदेश संख्या 1944/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 दिनांक 23.11.2022 में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) स्वीकृति हेतु दिनांक 03.04.2023 को आहूत बैठक में विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त अधोनामित अवर अभियन्ता (वि0एवंयां0) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-‘5’ में वर्णित तिथि से ‘प्रथम’ सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) एवं स्तम्भ-‘6’ में वर्णित तिथि से ‘द्वितीय’ सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) एतद्वारा निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	तैनाती कार्यालय	अवर अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) अनुमन्यता की तिथि	द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुनील कुमार	परियोजना क्रियान्वयन नॉन ए0डी0बी0, लालकुआँ, हल्द्वानी	11.03.2008 (पूर्वाहन)	11.03.2017	11.03.2022

उपरोक्तानुसार स्वीकृत वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन की जांच/विद्विषा कारपोरेट वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

उक्त पदधारकों को वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान करने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि कोई प्रतिकूल तथ्य/विवरण संज्ञान में आने पर प्रश्नगत वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति के आदेश वापस ले लिये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 599 / मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस-7 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी0ई0ओ0-निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-II), पिटकुल,.....।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल,.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,.....।
8. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाईल/व्यैक्तिक पत्रावली।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)